



कार्यालय :— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड, रौंची।

वन भवन, डोरण्डा, रौंची

e-mail :— apecf-campa@gov.in, Phone No. 0651-2481466 (O)

पत्रांक : 19M(05)CAMPA(2021-22)- 437 दिनांक : 21/10/2021

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा
झारखण्ड, रौंची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, रौंची।

विषय :—

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य" योजना के "वन्यजीव पर्यावास का विकास कार्य" के अन्तर्गत सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन के अधिग्राम कार्यों के सम्पादन हेतु कुल रु0 80.57406 लाख (अस्सी लाख संतावन हजार चार सौ छः रुपये) मात्र का उप-आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या — 04/कैम्पा-03/2021 — 08/स्वी0 व0प0 रौंची, दिनांक 13.09.2021 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या — 04/कैम्पा-03/2021 — 26/आ0 व0प0 रौंची, दिनांक 16.09.2021
- इस कार्यालय का पत्रांक 185 दिनांक 13.05.2021, पत्रांक 186 दिनांक 13.05.2021 एवं ज्ञापांक 356 दिनांक 14.09.2021

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में वजट मुख्य शीर्ष-2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 04—वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास, लघु शीर्ष-103—राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण, उप शीर्ष- 05—"वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य" योजना के "वन्यजीव पर्यावास का विकास कार्य" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन के अधिग्राम कार्यों के सम्पादन हेतु अनुमान्य देय राशि उपकंघ के अन्तर्गत स्वीकृत राशि में से कुल रु0 80.57406 लाख (अस्सी लाख संतावन हजार चार सौ छः रुपये) मात्र का उप-आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

(राशि लाख में)


क्र0 स0	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	मजदूरी	19S24060410305010103	60.70935
2	आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060410305010323	19.86471
कुल :-			80.57406

1. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप-कोषागार से की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार उप-आवंटन का सारांश अनुलग्नक-2 एवं ऑन लाईन उप-आवंटन की प्रति अनुलग्नक-5 पर द्रष्टव्य है।

2. इस योजना के उपरोक्त कोड संख्या को कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।

3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम में लगाये गये शर्तों के अनुरूप ही सभी कार्यों का सम्पादन किया जाय।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कैम्पा वार्षिक कार्य योजना में अधिग्राम कार्य के लिए स्वीकृत रथल में परिवर्तन नहीं किया जाय।


21/10/2021

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्थल चयन समिति में स्वीकृत स्थल में ही कार्य सम्पादित करायेंगे। क्षेत्रीय मुख्य बन संरक्षक द्वारा प्रेषित सूची/ स्थल में परिवर्तन बिना अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के बांगे नहीं किया जायेगा। इस संबंध में इस कार्यालय के ज्ञापांक 405 एवं 406 दिनांक 04.10.2021 द्वारा निर्गत पत्र के कांडिका iii (ख) का व्याप्त रखेंगे।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस कार्य के लिए राशि उप-आवंटित की जा रही है, उसकी राशि पूर्ण में ad-hoc CAMPA account में जमा कर दी गई है। स्थानीय बैंक में रखी गई राशि के पिरूँदू किसी भी कार्य को कैम्पा वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित नहीं किया जाय।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना का कार्यान्वयन स्थल विशिष्ट स्वीकृत प्राक्कलन तथा सकाम स्तर से प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप किया जाएगा। यह प्राक्कलन अपर प्रधान मुख्य बन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रॉनी द्वारा निर्गत योजनावार विभागीय कार्य दर के अनुसार प्राक्कलित राशि के अनुरूप होगा। अपर प्रधान मुख्य बन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रॉनी के किसी योजना के प्राक्कलन से किसी item को निकाल कर अलग योजना का नाम स्वयं नहीं देंगे।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा एवं निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का पिचलन न हो।


9. अगर सलग्न विवरणी में किसी भी बन प्रमण्डल के पक्ष में प्रदर्शित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य में कोई विसंगति पायी जाती है, तो कृपया इसे अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में तुरंत लाया जाय ताकि उसका इस वित्तीय वर्ष में निराकरण किया जा सके।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत कार्य नियोजना/बन्य जीव प्रबंधन योजना के अनुरूप सम्पादित कराया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 तक के कैम्पा वार्षिक कार्य योजना से सम्पादित कराये गये सभी कार्यों से संबंधित सूचनाओं को को e-green watch portal पर upload करने के पश्चात ही राशि की निकासी/व्यय किया जाय।

12. पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कैम्पा वार्षिक कार्य योजना 2021-22 के अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है –

- (i) Utilization of State Compensatory Afforestation Fund (CAF) shall be done in such a manner that at least 80 per cent is used for afforestation forest development and wildlife habitat improvement and maximum 20 per cent be used for infrastructure/capacity building related items.
- (ii) The State Authorities shall ensure that uploading of the correct KML files and geo-coordinates of afforestation and major undertaken during the year 2020-21 along with their photographs (before plantation and after plantation, and thereafter annually) has been completed.
- (iii) All concerned officers shall also ensure that there is no overlapping of activities/funding with other schemes and may provide a certificate to that effect.
- (iv) Local species, especially fruit and fodder species, has to be given preference in afforestation/regeneration to be carried out; monoculture should not be undertaken, and planting of exotic species shall be avoided.
- (v) Soil and moisture conservation work shall be carried out in an integrated manner under watershed approach from "ridge to valley" only in degraded forests. This shall focus on assisted natural regeneration and supplemented by artificial seeding with quantifiable monitoring parameters. Construction of dams, stop dams and ponds and their deepening are to be taken up only if they are a part of an integrated soil and moisture conservation plan of the catchment area. Since this component (SWC for regeneration of forests) is a very large work, the efficacy of the design and the activities shall be concurrently monitored by a reputed independent agency. Actions will be, accordingly, taken during the lifetime of each project. The overall impact on improved forest regeneration shall be shared with NAEB (MoEF&CC) on an annual basis.


21/09/2021

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत प्रतिपूरक बनीकरण निधि नियमावली, 2018 में निहित निम्न प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 185 दिनांक 13.05.2021 द्वारा भेजी गयी है—

- (i) दब्यप्राणी पर्यावास का विकास संबंधी कार्य अनुमोदित वन्य प्राणी प्रबंधन योजना अथवा कार्य नियोजना के अनुसार किये जायेंगे।
- (ii) NPV & Penal NPV में संदर्भित वनभूमि पर किए जानेवाले कार्य कार्य नियोजना (Working Plan)/ अनुमोदित दब्यजीव प्रबंधन योजना के अनुसार किए जाएंगे।
- (iii) परंतु यह कि ये कार्य, जो कार्य नियोजना के अनुसार ग्राम सभा अथवा ग्राम वन समिति के परामर्श से सम्पादित किये जायेंगे तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों और इसके तहत जारी दिशा-निर्देशों, जहाँ कहीं लागू हो, के अनुरूप होंगे।
- (iv) परंतु यह कि ये कार्य, जो अनुमोदित कार्य नियोजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं, यथालागू ग्राम सभा अथवा ग्राम वन समिति अथवा उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले किसी प्राधिकरण के परामर्श से सम्पादित कराये जायेंगे तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों और उसके अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों, जहाँ कहीं लागू हो, के अनुरूप होंगे।
- (v) ग्राम सभा/ ग्राम वन समिति/ अन्य प्राधिकरण के उपरोक्त वर्णित परामर्श का अभिलेख संधारित किया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वयन की जानेवाली कैम्पा यार्डिक कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या – 04/कैम्पा-03/2021-08/स्वी० व०व० दिनांक 13.09.2021 में अधिसूचित सभी शर्तों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जो निम्नवत है :-

14. (i) स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा।
- (ii) राशि की निकासी संबंधित जिलों में अविरित कोषागार/उप-कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम – 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
- (iii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

15. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची होंगे।

16. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/ कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन करना सुनिश्चित करेंगे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा नियंत्री पदाधिकारी को सहयोग करेंगे एवं निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे—

- (ii) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।
- (iii) नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमङ्गलीय लेखा में प्रवृद्धि की भी समीक्षा करेंगे। समय समय लेखा प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।
- (iv) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अकिता बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड करना सुनिश्चित करेंगे। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकेगी।


21/09/2021

- (V) भारत सरकार को आवश्यक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।
- (VI) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा निर्गत करें। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी के हस्ताक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।
- (VII) वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्य योजना की स्थीकृत योजना की प्रारंभिक प्रविष्ट सभी बाउण्डी आधारित पॉलीगन पर किया जाय। तदनुसार राशि विभक्त की जाय।

17. **Monitoring:** विभिन्न कांडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी—

- (क) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।
 - (ख) विभागीय स्थापित monitoring के अंतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।
18. (I) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निशेषण निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।
- (III) निशेषण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, ड्यारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।
- (IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान व्यौरा प्राप्त करेंगे।
- (V) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा द्वारा सूचित किया गया है कि योजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्थीकृति प्रदत्त है।
- (VI) योजना का संक्षिप्त व्यौरा e-green watch पर नियमित रूप से updated किया जायेगा तथा इसकी समीक्षा की जायेगी।
- (VII) सभी भुगतान यथासंभव DBT या सीधे बैंक खाते में अमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (VIII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष मस्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लेताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके।
- (IX) Income tax (IT)/ Service Tax (GST/VAT)/ Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, वह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।
- (X) कांडिका-IX के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO को होगा।

19. मजदूरी का भुगतान त्रैम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, ड्यारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायगा। मजदूरी मद में स्थीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप यास्तायिक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

- (II) सभी यंत्र-संयत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय यथासंभव e-GEMS से किया जाय।
- (III) वैसे यंत्र-संयत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय यथासंभव e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी।

*Sanjay
21/09/2021*

20. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्फ का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवास इत्यादि की सुनिश्चित व्यवस्था की जाय।

21. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान यथासंभव मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्राक-1204 दिनांक- 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस संबंध में कंडिका 18 (IV) एवं (VIII) संयुक्त रूप से प्रभावी रहेगी।

22. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकाकर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा को तुरंत देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा के निर्देशों का पालन किया जाय।

23. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी। इस संबंध में कंडिका 18 (VII) का भी अनुपालन किया जायेगा।

24. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनांतर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सठ-जांपाक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

25. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016 एवं प्रतिकरात्मक यनरोपण निधि नियमावली-2018 में निहित प्रावधानों का अकारण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।


26. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समसमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

27. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्राक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

इस आवंटन आदेश में उल्लिखित शर्तों तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृत्यादेश संख्या - 04/ कैम्पा-03/2021-08/स्वी0 व0प0 दिनांक 13.09.2021 जो इस कार्यालय के ज्ञापांक 356 दिनांक 14.09.2021 द्वारा प्रेषित है में उल्लिखित शर्तों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व उनके संबंधित मुख्य वन संरक्षक का होगा।

अनुलग्नक :— यथोक्त।


आपका विश्वासी,


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, रोदी।

ज्ञापांक— 19M(05)CAMPA(2021-22)- 437 दिनांक— 21/10/2021.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति सहित मुख्य बन संरक्षक, बन्धप्राणी, झारखण्ड, रोची /
इनविस सेन्टर, डोरण्डा, रोची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक :- यथोक्त।


अपर प्रधान मुख्य बन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, रोची।
21/10/2021

ज्ञापांक— 19M(05)CAMPA(2021-22)- 437 दिनांक— 21/10/2021.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति सहित कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग / डोरण्डा, रोची
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त।


अपर प्रधान मुख्य बन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, रोची।
21/10/2021

आरखण्ड चैम्पा

वार्षिक कार्य योजना 2021-22 : उपर्योगी "०६-दनमूमि का नियन यत्तमान मूल्य"

(मजदूरी दर : रु० ३११.३३ प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख रु० में)

क्र०	निकासी एवं व्यवन पदाधिकारी का पदनाम	वन्यजीव धर्यावास का विकास कार्य				सकल योग		
		सिल्वीकाल्कर औपरेशन						
		जाग्रित कार्य						
		नीतिक लक्ष्य (रु०)	मजदूरी	सामग्री एवं आपूर्ति	कुल राशि	मजदूरी	सामग्री एवं आपूर्ति	कुल राशि
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	वन प्रमणदल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमणदल, हजारीबान	100.00	40.47290	13.24314	53.71604	40.47290	13.24314	53.71604
२	वन प्रमणदल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमणदल, रीवी	50.00	20.23645	6.62157	26.85802	20.23645	6.62157	26.85802
	कुल योग	150.00	60.70935	19.86471	80.57406	60.70935	19.86471	80.57406

Sanyam
अपर प्रदान मुद्रित दर्ता लक्षक,
चैम्पा, आरखण्ड, रीवी।

अनुलेनक-2.

वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 19 वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	19S24060410305010103	19S24060410305010323	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hazaribagh	HZBFWL016	Awanish Kumar Chaudhary	D.F.O.Wild Life Hzb	₹40,47,290.00 (52820)	₹13,24,314.00 (52823)	₹53,71,604.00
2	Doranda	DRNFWL049	Umesh Sahani	Dfo Wild Life Division Ranchi	₹20,23,645.00 (52821)	₹6,62,157.00 (52824)	₹26,85,802.00

कुल आवंटित राशि :- ₹80,57,406.00 (vLlh ykjk IRrkou gtkj pkj lkS N%) रूपये मात्र।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

ADDL.PCCF.CAMPA JHARKHAND RANC

Sanjeev Kumar
(SANJEEV KUMAR)
Addl. PCCF. CAMPA
Jharkhand, Ranchi.
21/10/2021



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

प्राप्ति दिनांक 2021-22 में व्यव हेतु जिम्मेदारी दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामाने अकिल गति अवधित की जाती है

पर संख्या - 19M05CAMPA-2021/437

दिनांक -

21-Oct-2021


क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060410305010103	52820	HZBFWL016 AWANISH KUMAR CHAUDHARY D.F.O.WILD LIFE HZB	4,047,290.00 रुपये चालीस लाख सेतासीस हजार तीन सौ नव्वे
2	S 19 24060410305010103	52821	DRNFWL049 UMESH SAHANI DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI	2,023,645.00 रुपये बीस लाख तेइस हजार छ: तीन विंशीस
3	S 19 24060410305010323	52823	HZBFWL016 AWANISH KUMAR CHAUDHARY D.F.O.WILD LIFE HZB	1,324,314.00 रुपये लेउँड लाख चौहास हजार तीन सौ चौदह
संग्रहीत विषय का विवरण वर्तमान मूल्य				23 - जापुरी एवं नामरी
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
संग्रहीत विषय का विवरण वर्तमान मूल्य				7,395,249.00
क्रमिक संख्या:				
संग्रहीत विषय का विवरण वर्तमान मूल्य				
क्रमिक संख्या:				

क्रमांक	विपरीत कोड़	एक्सेस नं	निकासी एवं व्यवन फटा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060410305010323 2406 - बालिकी गांडा बन्द ग्रामी 04 - बाल रोपण तका पारिविष्टिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक बनरोपण 05 - बारधुरी का विवल वर्तमान मूल्य 01-वनभूमि का विवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय	52824	DRNFWL049 UMESH SAHANI DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI 23 - आवृत्ति एवं बायारी	662,157.00 रुपये द्वा. लाख बासठ अनारा एवं ग्रामी. राज्याभाग



State Scheme : NA
Central Scheme : NA

योग: 662,157.00
क्रमिक योग: 8,057,406.00

रुपये अस्ती लाख सलाहवन हजार चार सौ छ:

 (SANJEEV KUMAR) 21/10/2021
 ADDRESS: CAMP, JHARKHAND